न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/289

1. सुखदेव आत्मज श्री नारायण आयु 57 वर्ष जाति जाट निवासी नैनवा तहसील नैनवा हाल निवासी बाण गंगा चौथमाता मंदिर के पास, बून्दी ।
2. राम लाल आयु 50 वर्ष आत्मज श्री नारायण जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 19 नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राम किशोर आयु 64 वर्ष आत्मज श्री नारायण जी जाति जाट निवासी जाटों का मोहल्ला काजी जी की गली चारभुजा मंदिर के पीछे नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 17/293

1. सुखदेव आत्मज श्री नारायण आयु 57 वर्ष जाति जाट निवासी नैनवा तहसील नैनवा हाल निवासी बाण गंगा चौथमाता मंदिर के पास, बून्दी ।
2. राम लाल आयु 50 वर्ष आत्मज श्री नारायण जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 19 नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. ओमप्रकाश आयु 22 वर्ष आत्मज रामलाल जी जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 19 तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. सीता बाई आयु 45 वर्ष पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 19 नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राम किशोर आयु 64 वर्ष आत्मज श्री नारायण जी जाति जाट निवासी जाटों का मोहल्ला काजी जी की गली चारभुजा मंदिर के पीछे नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमराज मीणा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 19.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने से तथा समान पक्षकार होने से तथा एक ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट सुखदेव ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत एक वाद संख्या 65/2011 पेश कर निवेदन किया कि कस्बा नैनवा प्रथम तहसील नैनवा जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 4695 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 4696 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 4698 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 4699 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि को करीब 60 वर्ष पूर्व प्रतिवादी क्रम 1 के पिता श्रीनारायण ने नोतोड से फाडकर भूमि को काबिल काश्त बनाया था । पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के पिता श्री नारायण उक्त भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते थे । उक्त भूमि पक्षकारान की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित कृषि भूमि है । पक्षकारान ने उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाने हेतु संयुक्त परिवार की आय से ही रूपये खर्च किये थे । परिवार का कर्ता खानदान प्रतिवादी क्रम 1 ही था जिसने गुपचुप तरीके से मिली भगत कर उक्त भूमि अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा ली । वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य दिनांक 27.06.1985 को वादग्रस्त आराजी सहित सम्पूर्ण पारिवारिक चल–अचल सम्पत्ति का विभाजन, पारिवारिक विभाजन पत्र नियमानुसार विधि सम्मत तरीके से सादे कागज पर निष्पादित कर दिया । प्रतिवादी क्रम 1 उक्त पारिवारिक विभाजन के विपरीत कथन करने से एस्टोप्ड है । उक्त विभाजन के अनुसार वादी क्रम 1 सुखदेव के हिस्से में दक्षिण साईड में 03 बीघा भूमि, वादी क्रम 2 के हिस्से में 04 बीघा 02 बिस्वा भूमि एवं प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में उत्तर में 03 बीघा भूमि आयी थी तब से ही पक्षकारान अपनी–अपनी भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं ।

4. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी क्रम 1 को 03 बीघा भूमि एवं वादी क्रम 2 को 04 बीघा 02 बिस्वा भूमि पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे । उक्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य नियमानुसार उक्त हिस्से मुताबिक भूमि का विभाजन कर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 का पृथक–पृथक राजस्व खाता जमाबन्दी में कायम कर पृथक–पृथक लगान का निर्धारण किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करे और उनके शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

5. इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 रामकिशोर ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत एक अन्य वाद संख्या 59/2011 पेश कर निवेदन किया कि कस्वा नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या नया 551 व पुराना 538 के खसरा नम्बर 4695 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 4696 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा,

खसरा नम्बर 4698 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 4699 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा कुल 04 किता की रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से बलपूर्वक कब्जा कर वादीगण को सम्पूर्ण भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है ।

6. अतः प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 को इस आशय की जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर अवैध एवं अनाधिकृत रूप से कब्जा नहीं करे न ही उक्त भूमि को नष्ट–भ्रष्ट स्वयं करे न ही ऐसा किसी अन्य से करावे ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वादों को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 से वाद संख्या 59/2011 स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निर्णय एंव डिक्री पारित की तथा वाद संख्या 65/2011 को खारिज कर दिया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने दोनों अपीलें प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट वर्ष 1985 में हुए पारिवारिक विभाजन के अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अकेले रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा नहीं है किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के कब्जे में दखलन्दाजी करने के कारण अपीलान्ट को भूमि से बेदखल करने व खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी व पारिवारिक विभाजन को मानने से इंकार कर दिया । पारिवारिक विभाजन पत्र वर्ष 1985 में आलेखित किया गया और उसके आधार पर आज तक अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने पारिवारिक विभाजन पर आपत्ति नहीं थी इस कारण अब रेस्पोडेन्ट क्रम 1 पारिवारिक विभाजन पर आपत्ति करने से स्टोप्ड है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 19.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जिसे स्वीकार कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्यों पर गौर नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी गलत रूप से रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्टगण और रेस्पोडेन्ट क्रम 1 श्री नारायण ने संयुक्त परिवार की आय से रूपये खर्च करके काबिल काश्त बनाया है । आराजी पर अपीलान्ट क्रम 1 व 2 रेस्पोडेन्ट क्रम 1 संयुक्त रूप से काबिज काश्त हैं । रेस्पोडेन्ट ने गलत रूप से आराजी का नियमन अपने नाम करवा लिया है । पक्षकारों के मध्य पारिवारिक विभाजन हुआ था और विभाजन के अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त हैं । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी अपीलान्ट खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुके हैं । रेस्पोडेन्ट पारिवारिक विभाजन के विपरीत कोई कथन करने से स्टोप्ड

हैं । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खातेदारी में दर्ज है । अपीलान्टगण का इसमें कोई हित–निहित नहीं है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में विधिक निर्णय पारित किया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.05.2017 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपील संख्या 17/293 से सम्बन्धित पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में शहादत वादी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.05.2017 के अनुसार वादीगण उपस्थित हैं, प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं है परन्तु आदेशिका पर वादी रामकिशोर और प्रतिवादी रामलाल के हस्ताक्षर हैं । शेष प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर नहीं हैं । पक्षकारों के द्वारा कोई विधिक राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है ।

13. इसी प्रकार अपील 17/289 में अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली शहादत वादी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया था । इस पत्रावली में भी प्रतिवादी रामकिशोर की उपस्थिति दर्ज की गई है और इसी आधार पर इसी दिनांक को दावा खारिज किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में न तो समस्त पक्षकार उपस्थित हुए हैं और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष विधिक रूप से राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करना होता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 17/289 एवं 17/293 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 प्रकरण संख्या 2011/00019 व निर्णय दिनांक 19.05.2017 प्रकरण संख्या 2011/00020 दोनों निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दोनों प्रकरणों में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 19.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा